२५/९/२०२५	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। विगत पेशी पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि किशनलाल पुत्र ओंकार अमरा तथा चिमनीबाई के गोद चला गया था। अतः उसके हिस्से को हटाया जाना उचित होगा तथा ओंकार के अन्य तीनों पुत्रों को 1/3 (प्रत्येक) हिस्सा पुनः निर्धारित करने हेतु वाद दायर है अतः वाद के फैसले तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो ताकि विवादित आराजी को खुर्द-बुर्द होने से बचाया जा सके। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त भूमि में वह सह-खातेदार है तथा सह खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। तथा वादी का ख.नं. 323 तथा 346 में कोई हित निहित नहीं है। यह नोहरा उन ओंकार द्वारा क्रय की गई भूमि है। तथा कुल 12 किता, रकबा 8.49 है पर प्रार्थी

बउनवान .... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में ...
	व अप्रार्थी हितों व राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगा 7 तथा 9 लगा 30 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 15.12.2022 को प्रारम्भ की जा चुकी है तथा अप्रार्थी 8 लगा 13 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है तथा अप्रार्थी सं. 14 लगा 20 की ओर से निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतः जवाब का अवसर बंद किया जाता है। जवाब सरकार भी बंद किया जाता है। उभयपक्ष बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु तीन बिंदुओं पर विवेचन किया जाना अनिवार्य है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि वाके माल ग्राम बिजावतो तह० पीपल्दा ख० नं० 323 रकबा 1.8 है तथा ख० नं० 346 रकबा 2.9 है के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है पत्रावली पर किसी भी दस्तावेज से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला प्रदर्शित करने सफल नहीं हो सका है। द्वितीय प्रार्थी द्वारा अपूरणीय क्षति कारित होना भी नहीं दर्शाया है। उक्त दो खसरों के संबंध में सुविधा	

[illegible]

[illegible] प्रयोग किया है। इसके अलावा विज्ञान के [illegible] तथा उनके [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] है। ऐसी स्थिति के [illegible] [illegible] के [illegible] की स्थिति के [illegible]

बउनवान .... बनाम ....
धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अ... हुक्म की तामील मे...
	मामले की जटिलता (complexity) तथा दावों की बहुलता (Multiplicity) में वृद्धिकारी होगा। प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में है। क्योंकि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वह अभिलिखित खातेदार है। ऐसी स्थिति में वाद का निर्णय उसके पक्ष में आने की संभावना तथा इस दौरान सम्पत्ति के खुर्द-बुर्द होने की आशंका के कारण अपूरणीय क्षति उसे कारित होने की संभावना है। अत: ऐसे में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से उसे असुविधा अप्रार्थी से अधिक हो सकती है। इस प्रकार सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। उक्त 12 खसरों कुल रकबा 8.49 है पर उभयपक्षों प्रार्थी तथा अप्रार्थी को रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह उक्त विवादित भूमि का रहन, बेचान, दान, बय इत्यादि नहीं करें तथा एक-दूसरे के कब्जे काश्त में मदाखलत व मदाहजमत न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधि से करायें। यह अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के अंतिम निर्णय तक जारी रहे व प्रभावी हो। ख.नं. 323 व 346 पर अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने की प्रार्थी	

बनाम ....
बउनवान .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....
धारा ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
	की प्रार्थना खारिज की जाती है। अत: प्रार्थना पत्र धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। फैसला सरे इजलास में सुनाया गया। [signature] 24/9/2024	